



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042022-235003
CG-DL-E-09042022-235003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1624]
No. 1624]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1707(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को एतद्वारा अधिकृत करती है। च से भूमि के विस्तार के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को करने के लिए सक्षम अधिकारियों के रूप में यहां संलग्न है। 0.00 किमी. से 108.654 किमी.। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर कार्यालय दक्षिण त्रिपुरा बेलोनिया (एनएच 208), और जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर का कार्यालय गोमती जिला और जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर खोवाई जिला (एनएच 208) का कार्यालय त्रिपुरा राज्य में भवन (चौड़ाई/चार लेन, आदि), त्रिपुरा राज्य में रखरखाव, प्रबंधन और संचालन।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH208 पर खोवाई जिले में भूमि अधिग्रहण 0.000 से 08.440, गोमती जिले में चेनेज 08.440 से 93.500 और दक्षिण त्रिपुरा जिले में 93.500 से 108.654 तक की श्रृंखला शुरू हुई।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH208 के कि.मी. 8.44 से 93.5 तक	त्रिपुरा	गोमती	मालबासा	1 पूर्वी दुलमा
2	एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH208 के कि.मी. 93.5 से 108.654 तक	त्रिपुरा	साउथ त्रिपुरा	मनु बाँकुल	1 दक्षिण मनुबाँकुल

[फा. सं. NHIDCL/BO AGT/DPR/12(6)/2016-17]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 1707(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Ch. 0.00 Km. to 108.654 Km. of Office of the District Magistrate & Collector South Tripura Belonia (NH208), and Office of District Magistrate & Collector Gomati District and Office of District Magistrate & Collector Khowai District(NH208) in the State of TRIPURA for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of TRIPURA.

SCHEDULE

Land acquisition started chainage 0.000 to 08.440 in khawai district, Chainage 08.440 to 93.500 in Gomati district and chainage 93.500 to 108.654 in South Tripura district on National Highway No. NH208 in the State of TRIPURA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate & Collector	8.44KM To 93.5KM	TRIPURA	Gomati	Malbasa	1 East Duluma
2	Additional District Magistrate & Collector	93.5KM To 108.654KM	TRIPURA	South Tripura	Manu Bankul	1 Dakshin Manubankul

[F. No. NHIDCL/BO AGT/DPR/12(6)/2016-17]

RAJESH GUPTA, Director